पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 59 / 2008 / अपील

1 गिरधारी
2 बाबुलाल
3 मोहन

पुत्रगण भगवाना जाति गुर्जर निवासीगण आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.05.2008 प्रकरण संख्या 59 / 08 अनुवानी सरकार बनाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री विधाधर सुण्डा

दिनांकः—21.10.2019

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गढटकनेत ने अपीलकर्तागण के विरूद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलकर्ता ने ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 462 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नदी पर तारामीरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अपीलकर्तागण की विधिवत तामील हुए बिना ही रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने अपीलकर्तागण की तामील मानकर पटवारी हल्का की शहादत इकतरफा मे लेकर प्रस्तुत प्रकरण को धारा 91(6) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मानकर पुलिस थाना अजीतगढ में अपीलकर्तागण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु लिखा जाने तथा बाद चालान बेदखल करने के आदेश दिये जाने का निर्णय दिनांक 17.05.2008 को दिया गया है। अपीलकर्तागण कृषि भूमि खसरा नम्बर 214, 215, 216, 217 तन आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के खातेदार काश्तकार है, जिसके सटकर खसरा नम्बर 400 पुराना नया 462 मे से 1 बीघा पुख्ता भूमि पर अपीलकर्तागण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के पूर्व से ही अपने पूर्वज हणमान पुत्र डूंगा के जीवनकाल से ही निरन्तर निर्बाध रूप से शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करते आ रहे है और वर्तमान कब्जा काश्त भी अपीलकर्तागण का ही है। जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख गिरदावरी खसरा परिवर्ततनशील मे चला आ रहा है। खसरा नम्बर पुराना 400 नया 462 ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर गैर मुमकिन नदी कभी नहीं रही है और न ही वर्तमान में गैर मुमकिन नदी है। उक्त भूमि ग्राम आसपुरा की आबादी के दक्षिण मे सटकर अवस्थित है, जिस पर ग्राम आसपुरा के करीबन 70 परिवार पुख्ता आवासीय मकानात बनाकर आबाद है व सम्पूर्ण भूमि पर ग्राम आसपुर के वासिन्दे काबिज है। रेस्पो. तहसीलदार ने अपीलकर्तागण को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही रेस्पो0 तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस की विधिवत तामील हुई है। उसके बावजूद भी बिना अपीलकर्तागण को सुनवाई का सुमचित अवसर प्रदान किये न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलकर्तागण पूवजों के समय से चले आ रहे कब्जे के सम्बन्ध में अपना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करते। जिसके अभाव मे आदेश जैर अपील प्रकटतः ही काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 59/08 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2008 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पो. को नोटिस जारी किया गया। रेस्पो. को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब करने हेतु पत्र जारी किये गये। बार–बार पत्र एवं स्मरण पत्र जारी करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत पारित किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत आदेश उपरांत अतिक्रमी स्वयं अपने स्तर पर 15 दिवस में अतिक्रमण हटा लेवे अन्यथा अतिक्रमी के विरूद्व सम्बंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रथम सूचना जरिये रिपोर्ट एफ.आई. आर. दर्ज करनी होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट द्वारा ग्राम आसपुरा की भूमि खसरा नम्बर 462 रकबा 0.40 है0 किस्म गै.मु.नदी पर तारामीरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर बेदखल करने हेतु पारित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि "उक्त प्रकरण धारा 91(6) का बनता है। जिसमें तीन साल की सजा एवं बीस हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है। यह प्रकरण न्यायिक क्षेत्राधिकार है एवं इसमें एफ.आई.आर. दर्ज थाना अजीतगढ़ में होनी है। अतः थानाधिकारी अजीतगढ़ को भेजकर लेख है कि कृपया प्रथम सूचना जरिये रिपोर्ट एफ.आई.आर. दर्ज कर पुलिस उपाधिक्षक से जांच करवाकर चालान न्यायालय में पेश करावें। एवं बाद चालान बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।" चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व थानाधिकारी अजीतगढ़ के समक्ष एफ. आई.आर. दर्ज करवाने के पश्चात् प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमी के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के पश्चात् प्रकरण में की गई कार्यवाही बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड तलबी हेतु बार–बार पत्र एवं स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद रिकॉर्ड नहीं भिजवाये जाने से न्यायालय के विवेक से यह जाहीर होता है कि प्रकरण के सम्बंध में अतिक्रमी के विरूद्व दर्ज हुई एफ.आई.आर. में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही हुई या नहीं हुई, यह स्पष्ट नहीं होता। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2008 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अतिक्रमी द्वारा तारामीरा की काश्त की जाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में उक्त तारामीरा की फसल की कुर्की/मांग कायमी को स्पष्ट करते हुए एवं दर्ज एफ.आई.आर. के निर्णय को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के अनुसरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर